राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र :– 68/2023

GCMS NO- 2023/213

रामकला यादव पुत्री जयदयाल पत्नी हरद्वारी लाल यादव आयु 58 वर्ष जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतडी हाल एन.ई. विजयनगर अलवर राज.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी

अधिवक्ता प्रार्थी – श्री लीलाधर शर्मा/रोशनलाल सैनी

आदेश

निर्णय दिनांक 04/11/25

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम शिमला पटवार मण्डल शिमला तहसील खेतडी में स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2076–79 के खाता संख्या 84 के खसरा नम्बर 1554 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.16 है. कुल किता 2 कुल कुल रकबा 0.31 है. में आवेदिका अन्य सहखातेदारो के साथ में खातेदार के रूप दर्ज रिकार्ड है। आवेदिका का 25/248 हिस्सा की खातेदार कास्तकार है शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान का है। आवेदिका ने गत दिनों अपनी खातेदारी की भूमि का रिकार्ड पटवारी हल्का से प्राप्त किया तो जानकारी हुई कि आवेदिका का नाम उक्त रिकार्ड में मुन्नी पुत्री जयदयाल दर्ज है जो गलत है। यह सही है कि आवेदिका के पिता का नाम जयदयाल है जो नानगराम का पुत्र है। आवेदिका को बचपन में मुन्नी के नाम से ही पुकारते थे जबकि आवेदिका ने अपने लोक दस्तावेज जैसे बैक पास बुक, आधार कार्ड, व अन्य कारोबार के दस्तावेज में अपना नाम रामकला यादव ही लिखवाया है व लिखती है। आवेदिका का विवादित भूमि में नाम मुन्नी पुत्री जयदयाल होने से उसे कोई राजकीय सहायता, बैक से ऋण व प्राप्त करने व अपने हिस्से की भूमि को अपने भाई बहनों के हक समर्पण पत्र करवाने में भारी सुविधा महसूस हो रही है। इसलिए आवेदिका को नाम दुरूस्ती बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम शिमला पटवार मण्डल शिमला स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2076–79 के खाता संख्या 84 के खसरा नम्बर 1554 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.16 है. कुल किता 2 कुल कुल रकबा 0.31 है. के राजस्व रिकॉर्ड में रिकार्ड दुरूस्त कर आवेदिका का नाम ''मुन्नी पुत्री जयदयाल'' के स्थान पर ''रामकला यादव पत्नी हरद्वारी लाल पत्नी [illegible] जयदयाल'' दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.01 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को [illegible] जारी की गई। अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार (भू.अ.) खेतडी ने [illegible] पत्र क्रमांक भू.अ. /2024/4064 दिनांक 19.09.2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट भिजवाई गई, जो बाद शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी जिला झुंझुनूं

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार खेतडी की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार खेतडी ने अपनी रिपोर्ट के बिन्दू सं. 3 में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही प्रविष्टि राजस्व रिकार्ड में कहीं भी दर्ज नही है। प्रकरण धारा 136 के अन्तर्गत नही आता है। प्रकरण खारीज योग्य है। अतः न्यायालय तहसीलदार खेतडी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूसती अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया पोषणीय नही से अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.01 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested